न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 149/2018 रा.रा.अ.
प्रयागदत्त पुत्र मूलचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम नयावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज०

... प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए प्राधिकरण रावत पैलेस के पीछे, गंगाविहार कालोनी, दौसा जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) लालसोट

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956

उपस्थित– 1. श्री अशोक बटवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री राकेश धनकड, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए के अंतर्गत ग्राम नयावास के खसरा नंबर 174 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भारत सरकार द्वारा नेशनल हाइवे 11 ए को चार लेन बनाने हेतु ग्राम नयावास तह० रामगढ पचवारा की भूमि अवाप्त की जा रही है। जिसमें सरकार के आदेशो के अनुसार डी एल सी रेट के मुताबिक जमीन के ढाई गणा व निर्माण कार्य के दुगना दर के हिसाब से मुआवजा राशि सभी मुआवजा धारीयों को वितरित की जा रही है। प्रार्थी की ग्राम नयावास में लालसोट रोड के सहारे तीन दुकाने व उनके ऊपर दो मंजिला पुख्ता मकान कुल तीन मंजिला इमारत है जो कि प्रार्थी की 12 फीट 9 इंच गुणा 25 फीट 9 इंच जो कि कुल 334.11 वर्गफीट होती है वह प्रार्थी द्वारा भौहरया मीना की पटटेशुदा भूमि थी से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03–01–1977 को क्रय किया गया था तथा द्वितीय भूखण्ड 12 फीट 6 इंच गुणा 25 फीट 9 इंच है जो कि कुल क्षेत्रफल 326.34 वर्ग फीट का है जो कि छोटु पुत्र बिरदा मीना का पटटेशुदा भूखण्ड था जिसे भी प्रार्थी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 03–01–1977 के द्वारा कय किया गया था तथा तृतीय भूखण्ड जो कि 25 फीट 9 इंच गुणा 15 फीट 3 इंच जो कि कुल 396.27 वर्गफीट का होता है। इस प्रकार उक्त तीनो भूखण्डो के वर्गफीट को जोडने पर प्रार्थी की कुल भूमि 1056.72 वर्गफीट होती है। जिसमें 9 का भाग देने पर 117.41 वर्गगज बनता है उक्त वर्गगज का वर्गमीटर बनाने हेतु उसे 0.836 से गुणा करने पर 98.15 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी की होती है। उक्त 98. 15 वर्गमीटर भूमि को सरकार द्वारा निर्धारित 1330 रूपये प्रतिवर्ग मीटर से गुणा करने पर राशि 1,30,340 रूपये बनती है जिसे मुआवजा राशि हेतु भारत सरकार के आदेशानुसार ढाई गुणा के हिसाब से गुणा करने पर 3,25,850 रूपये की मुआवजा राशि बनती है। मुआवजा राशि अवार्ड में प्रार्थी की निर्माण राशि 20,63,531 रूपये आंकी गयी है। जिसको भारत सरकार के आदेशानुसार दो गुणा करने पर 41,27,062 रूपये की राशि बनती है जिसमें जमीन की राशि 3,25,850 रूपये जोडे जाने पर प्रार्थी की कुल मुआवजा राशि 44,52,912 रूपये कानूनन बनती है जिसके स्थान प्रार्थी को मात्र मुआवजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

राशि गलत तरीके से 20,63,531 रूपये ही अवार्ड में अंकित की गयी है। जबकि प्रार्थी कुल मआवजा राशि 44,52,912 रूपये कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त जमीन ग्राम नयावास तह० रामगढ पचवारा के आराजी खसरा नं0 174 में स्थित भूमि है जो कि पूर्व में सुखपाल्या व ग्यारसा पिसरान डूंगा जाति चमार की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 512 थी जो कि ग्राम पंचायत की गैरमुमकिन आबादि में आने के कारण एंव 512 के नये खसरा नं० 174 बनाये जाने के फलस्वरूप उक्त जमीन की खातेदारी गैरमुमकिन राजकीय सरकार में अंकित कर दी गयी जबकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत के आधिपत्य की भूमि रही है। जिसके फलस्वरूप भी उक्त भूमि का ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा जारी किया गया एंव उक्त पट्टे के आधार पर ही प्रार्थीगण के नाम विधिवत रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीबध किये गये। राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9 (6) राज–6/2000/पार्ट/139 जयपुर दिनांक 28–11–2019 को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया गया की ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का विकास व रखरखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। अतः राज० सरकार भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102–क में दिये गये अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी समस्त भूमिया जो आबादी भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व मौके पर आबादी बसी हुई व राज्य सरकार में निहित है अथवा जमाबंदी की खाता संख्या 1 में दर्ज है या बिला नाम है । संबधित आबादि परियोजनार्थ ग्राम पंचायत के अधीन किये जाने का आदेश देती है। साथ ही उक्त आदेश में जिला कलेक्टर को आदेशित किया गया की इस आदेश की पालना में संबधित तहसीलदारों द्वारा ऐसी भूमि का कब्जा संबधित ग्राम पंचायत को संम्भलाकर नामान्तकरण को स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें । जिसके तहत यदि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में अगर खाता संख्या 1 में यदि अंकित भी हो तो उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है जिसमें पटटे देने का ग्राम पंचायत को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है जिसके फलस्वरूप यदि उक्त ग्राम पंचायत की पटटेशुदा भूमि यदि अवाप्त की जाती है तो उसकी डी एल सी रेट के मुताबिक ढाई गुणा राशि प्रार्थीगण कानून प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी को दी जाने वाली कुल मुआवजा राशि 44,52,912 रूपये कानूनन दी जानी चाहिए किन्तु उक्त राशि के स्थान पर प्रार्थी की मात्र 20,63,531 रूपये की मनमानी मुआवजा राशि ही मात्र दिये जाने बाबत अवार्ड पारित किया गया है, जो कि 23,89,381 रूपये की कम राशि का अवार्ड पारित किया गया है। जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को कुल मुआवजा राशि 44,52,912 रूपये की मुआवजा राशि दिलाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस में कथन किया कि भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए एक्सटेंशन के 18.980 कि.मी. से 63.000 कि.मी. तक के भखण्ड (दौसा–लालसोट–कोथून सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अपेक्षित है जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3क की अधिसूचना दिनांक 29.7.2015 को जारी की गयी जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 05. 09.2015 को व दैनिक भास्कर में दिनांक 7.9.2015 को करवाया जाकर समस्त हितधारियों व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित की गयी। ... समयावधि में विभिन्न ग्रामों से आक्षेप/आपत्तियों मय दस्तावेज/सबूत आदि प्राप्त हुए जिस पर अवाप्ति अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं को पर्याप्त, समुचित एवं ... सुनवाई का अवसर देते हुए आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3घ की उपधारा 1 अधिसूचना दिनांक 26.5.2016 को हितबद्ध व्यक्तियों व हर आम खास की सूचनार्थ जारी की गई। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यांतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जायेगी। इस प्रकार उक्त अधिसूचनाओं के तहत भूमि का विधिनुसार अर्जन किया गया है। इस प्रकार धारा 3घ की उक्त घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन पर विनिर्दिष्ट अवाप्तशुदा भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यन्तिक रुप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गयी। अधिनियम, 1956 की धारा- 3ए के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां अधिनियम 1956 की धारा उसी के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी के अन्तर्गत प्राप्त समस्त आक्षेपों/ आपत्तियों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3घ के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई तथा उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें प्रार्थी की कोई भूमि सम्मिलित नही है तथा खसरा नंबर 174 की भूमि सम्मिलित है जो कि सरकारी भूमि है जिसका अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर भूमि का अवार्ड परित किया जा चुका है जो कि बरवक्त बहस माननीय न्यायालय के समक्ष अर्ज कर दिया जायेगा तथा प्रार्थी की भूमि में स्थित संरचनाओं का अवार्ड राशि रूपये 20,63,531.00 का प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 7.3.2018 को प्रार्थी के पक्ष में पारित किया जा चुका है जिसका उल्लेख अवार्ड दिनांकित 7.3.2018 के क्रम संख्या 28 पर किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3एफ के अनुसार धारा 3घ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रखरखाव, प्रबन्ध अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन अथवा उसके किसी भाग, अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। समस्त अवाप्तशुदा भूमि की दर/कीमत संबंधित तहसीलदार/ उप पंजीयक महोदय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सडक के सन्दर्भ में दी गई थी जो कि प्रचलित बाजार मूल्य के समान थी जिसके आधार पर निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है। संबंधित उप पंजीयक/तहसीलदार द्वारा जिस ग्राम की जो दर दी गई थी उसी दर के अनुसार उस गांव की भूमि की दर निर्धारित की गई है । यहां यह कथन करना भी उचित होगा कि डीएलसी दर विशेषज्ञो की कमेटी द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती है व दर निर्धारित करने से पूर्व विशेषज्ञो द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, किस्म, बाजार मूल्य आदि का मूल्यांकन राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 की धारा 58 के अनुसरण में किया जाता है ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि डी.एल.सी. दर व बाजार मूल्य में किसी प्रकार की भिन्नता हो। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रार्थी द्वारा अपने संपूर्ण आवेदन पत्र में सारहीन कथन दर्ज किए है। प्रार्थी द्वारा दर्ज कथनों में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि की कितनी राशि मुआवजा स्वरूप दिलायी गयी है और वह किस प्रकार अनुचित है। प्रार्थी ने अपने कथनों में ना ही यह स्पष्ट किया है कि अवार्ड अधिकारी द्वारा किस प्रकार से बाजार मूल्य का गलत रूप से निर्धारण किया है। प्रार्थी का यह विधिक दायित्व है कि प्रार्थी आवेदन पत्र में लिए गए आधारों के संदर्भ में विशिष्ट रूप से कथन करती, जिनसे यह साबित हो सके कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा समुचित मानद[illegible] राशि का निर्धारण नहीं किया गया हो, इस तथ्य को सावित करने का भार भी प्रार्थी[illegible] प्रार्थी प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों को सावित करने में पूर्णतया असफल [illegible] वर्णित तथ्यों की रोशनी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सारहीन [illegible] खारिज किए जाने योग्य है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म राजस्व अभिलेख में मुआवजा निर्धा[illegible] करते समय दर्ज थी उसी किस्म के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अदा किया गया है जो कि पूर्णतः उचित एवं सही है। सक्षम प्राधिकारी ने प्राप्त समस्त आपत्तियो को आपत्तिकर्ता को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत आपत्तियों का निस्तारण कर मुआवजा राशि तय की है जो पूर्णतः उचित व सही है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि में हितबद्धधारियों के भूमि के उपयोग करने के अधिकार का अपवर्जन होने से धारा 3जी (1) में प्रतिकर के रूप में दी गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि प्रार्थी के प्रार्थना को बल मिलता हो अतः इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आधारहीन है जिसके माध्यम से प्रार्थी माननीय महोदय से किसी प्रकर का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड में केवल मात्र राजस्व अभिलेख की स्थिति, भू रूपान्तरण/भूखंड सक्षम न्यायालय, विभाग के आदेश तथा अन्य कोई वैध कारणों के परिणामस्वरूप अवार्ड राशि में कमी/वृद्धि स्वीकार्य होगी। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्वीकृत रूप से उपरोक्त वर्णित कारणों में से कोई भी कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि की जो मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत ही निर्धारित की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है व प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्च निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 174 वाके ग्राम नयावास पर स्थित संरचना का मुआवजा अवार्ड आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थीगण गलत आधारों पर मुआवजा अवार्ड आदेश को संशोधित कराना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए दौसा–लालसोट–कौथून खंड के चौडाईकरण हेतु तहसील लालसोट व रामगढ पचवारा के विभिन्न ग्रामों में से भूमि अवाप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत धारा 3 ए की कार्यवाही गजट नोटिफिकेशन दिनांक 29 जुलाई 2015 को की जाकर दिनांक 4.10.2016 को भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अवार्ड की कार्यवाही की गई तथा दिनांक 3.4.2018 को उक्त भूमि में स्थित संरचनाओं को अवाप्त कर प्रावधानों के अनुसार अवार्ड की कार्यवाही की गई है। प्रार्थीगण की संरचना सं0 आरएचएस 76 जो कि ग्राम नयावास के खसरा नंबर 174 में स्थित है, को राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए विस्तार के दौसा–लालसोट–कौथून खंड के चौडाईकरण हेतु अवाप्त कर अवार्ड की कार्यवाही की गई है जिसका संरचनाओं हेतु जारी अवार्ड दिनांक 3.4.2018 के ग्राम नयावास के कमांक 28 पर स्थित राशि 2063531/–रू0 अंकित है। प्रार्थी की संरचना सं0 आरएचएस 76 का सर्वे ऐजेन्सी द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसकी नाम इस प्रकार है:–निचला तल 7.75 X 12.2 मीटर, प्रथम तल 7.75X 12.2 मीटर साथ ही टीनशैड 2.30 X 350 मीटर सीसी फ्लोरिंग 11.60 X 2.85 मीटर, 4.20 X 1 मीटर साथ ही फिनिशिंग एवं पत्थर की दीवार लंबाई 17.9 मीटर है। सीजीआई शीट 12.20 X 3.15 मीटर को भी मूल्यांकन में शामिल किया गया है। साथ ही निर्माण का राज्य सरकार की दर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन किया गया है जो सही है। प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 174 वाके ग्राम नयावास की भूमि राजकीय रिकार्ड मे राजकीय भूमि होने के कारण प्रार्थी के नाम कोई अवार्ड राशि जारी नहीं हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण की संरचना का विधिवत नियामनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अंवार्ड जारी किया गया है जो सही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थी का मूल कथन है कि उन्हें उनकी अवाप्त की गई भूमि का वाणिज्यिक एवं आवासीय भूखंड के रूप में गणना की जाकर निर्माण कार्य का भी डीएलसी दर की दुगुनी राशि से मुआवजे का निर्धारण किया जावे। उनकी अवाप्तशुदा पट्टेशुदा भूमि है, वहीं अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा 3 ए एवं 3 डी अधिसूचना के तहत कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। जो पट्टा प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी केवल छाया प्रति प्रस्तुत की जा रही है जिससे उसकी वैधता पर सवालिया निशान लगता है। साथ ही पट्टे रजिस्टर्ड नहीं है। धारा 49 रजिस्ट्रेशन एंड स्टांप एक्ट के तहत पट्टे को तब तक पढा नहीं जायेगा जब तक कि वह रजिस्टर्ड न हो। प्रार्थी का इस संबंध में कथन था कि यदि 100 रू0 से कम मूल्य की संपत्ति हो तो उसके पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है।

9. हमारे समक्ष पत्रावली पर 3 पट्टों की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है ना कि मूल या सत्य प्रतिलिपि जिससे पट्टों की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। प्रार्थी द्वारा दो विक्रय पत्र भी प्रस्तुत किये गये है जिसमें दो संपत्तियों का बेचान प्रार्थी के पक्ष में किया है किन्तु उक्त दोनों विक्रय पत्रों में किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टों का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि उनके द्वारा पट्टेशुदा भूमि का क्रय किया गया है। एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में महज भूमि पर निर्मित निर्माण का उल्लेख किया गया है। अतः प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि जिस भूमि पर उनकी संरचना स्थित थी, उस भूमि पर ग्राम पंचायत को विधिक शुल्क अदा करके काबिज थे। ऐसे में उनके द्वारा अब संरचना के मुआवजे की अतिरिक्त की जा रही मांग नियम विरूद्ध है। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested